प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला बीकानेर – **थाना प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र.नि.ब्यूरो जयपुर**.....वर्ष .....**2023**.....
2. प्र.इ.रि.सं.....137.../**2023**..... दिनांक .....5/6/2023.....

(I) * अधिनियम – **भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018**..... धारा – **7ए..**

(II) * अधिनियम भा.द.सं. धारा –.....420, 384, 120बी.....

(III) * अधिनियम.....–..... धाराएं.....–.....

(IV) * अन्य अधिनियम एवं धाराएं .....–.....

3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या .....91.....समय.....6:30 PM.....

(ब) अपराध घटने का दिन व समय– शनिवार **दिनांक 03.06.2023 वक्त 10:27 ए.एम.**

(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक – .....01.06.2023 वक्त 02:50 पी.एम..... .....

4. सूचना की किस्म :– लिखित / मौखिक – **लिखित**
5. घटनास्थल :–

(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी – दक्षिण–पश्चिम करीब 70 किमी

(ब) पता – पांचू तहसील नोखा जिला बीकानेर

बीटसंख्या.....–.....जुरायमदेही सं.....

(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो पुलिस थाना .....–.....

6. परिवादी /सूचनाकर्ता :–

(अ) नाम – **श्री सीताराम**

(ब) पिता/पति का नाम – श्री मघाराम

(स) जन्म तिथि/आयु – **36** वर्ष

(द) राष्ट्रीयता – **भारतीय**

(य) पासपोर्ट संख्या..... जारी होने की तिथि..... जारी होने की जगह .....

(र) पेंशा – लाईनमैन 33/11 केवी जीएसएस बरसिंहसर

(ल) पता – **निवासी कुंभासर तहसील नोखा जिला बीकानेर हाल रीको रोड़ नम्बर 07 रानी बाजार बीकानेर**

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित :–

1.सुरेश कुमार बाजिया पुत्र श्री हरलाल सिंह बाजिया उम्र–36 वर्ष जाति जाट निवासी गांव ठिकरिया, तहसील खण्डेला, जिला सीकर हाल फर्म प्रतिनिधि फर्म भंवरिया इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्राईवेट लि0 जयपुर हाल पांचू तहसील नोखा जिला बीकानेर।

2.रोहिताश मीणा पुत्र श्री मालीराम निवासी वार्ड नम्बर 15, मीणों का मौहल्ला, बस स्टेण्ड के पास श्रीमाधोपुर जिला सीकर हाल फर्म प्रतिनिधि फर्म भंवरिया इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्राईवेट लि0 जयपुर हाल पांचू तहसील नोखा जिला बीकानेर।

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण :– **कोई विलम्ब नहीं।**
9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये).....
10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य .....–.....
11. पंचनामा यू॰ डी॰ केस संख्या (अगर हो तो) .....–.....
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये) :–

महोदय,

निवेदन है कि दिनांक 01.06.2023 को परिवादी श्री सीताराम प्रजापत ने ब्यूरो कार्यालय बीकानेर मे लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की कि "सेवामें श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर विषय– जोधपुर डिस्कॉम के ठेकेदार श्री सुरेश बाजिया को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़वाने हेतु, महोदय उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मैं सीताराम प्रजापत पुत्र श्री मघाराम प्रजापत जाति कुम्हार उम्र– 36 वर्ष निवासी रीको रोड़ नं. 7 रानी बाजार बीकानेर का रहने वाला हूँ। मेरा मूल निवास गांव कुम्भासर तहसील नोखा जिला बीकानेर है। मेरी जमीन गांव साठिका रोही में है। उक्त जमीन मेरे पिताजी के नाम से है। उक्त जमीन पर मेरे पिताजी के नाम से जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड से कृषि कनेक्शन हेतु डिमांड नोटिस जारी हुआ, जो मैंने पिछले साल जुलाई 2022 में भर दिया था। इसके बाद जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा मेरे खेत में कृषि कनेक्शन हेतु विद्युत लाईन एवं ट्रांसफार्मर लगाने के लिए कार्यादेश जारी किया गया। उक्त कार्यादेश जो.वि.वि.नि.लि. नोखा द्वारा भंवरिया कंस्ट्रक्शन नामक फर्म को जारी किया गया। भंवरिया कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा उक्त कार्य करवाने हेतु सुरेश बाजिया नामक ठेकेदार को मेरे कृषि कनेक्शन की विद्युत लाईन बिछाने व ट्रांसफॉर्मर लगाने का कार्य सौंप रखा है। उक्त सुरेश बाजिया नामक ठेकेदार मेरे कृषि

कनेक्शन से संबंधित उक्त कार्य करने के लिए कंपनी द्वारा अधिकृत है तथा पुलिस थाना पांचू के पास स्थित किराये के मकान में कृषि कनेक्शन संबंधित सामग्री लेकर बैठा रहता है। मेरे कृषि कनेक्शन हेतु जो.वि.वि.नि.लि. से भंवरिया कंस्ट्रक्शन कंपनी को कार्यादेश दिनांक 28.02.2023 को जारी हो रखा है मगर आज दिनांक तक मेरे खेत पर ठेकेदार सुरेश बाजिया द्वारा विद्युत कनेक्शन हेतु न तो लाईन बिछाई गई है और न ही ट्रांसफार्मर लगाया गया है। जब मैंने श्री सुरेश बाजिया से उक्त कार्य हेतु गांव पांचू में संपर्क किया तो उक्त ठेकेदार ने मेरे से उक्त कार्य के लिए 50,000/– रिश्वत की मांग की। मैं मेरे उक्त जायज कार्य के लिए ठेकेदार को रिश्वत नहीं देना चाहता हूं तथा ठेकेदार सुरेश बाजिया को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूं, कृपया कानूनी कार्यवाही करावे। दिनांक 01.06.23, एस.डी. सीताराम, सीताराम पुत्र मघाराम प्रजापत निवासी कुम्भासर हाल रीको रोड़ नं. 7 रानी बाजार बीकानेर मोबाईल नम्बर 9667003499

परिवादी से मजीद दरियाफ़्त की गई तो परिवादी ने उक्त प्रार्थना पत्र स्वयं द्वारा हस्तलिखित होना तथा इस पर बतौर प्रार्थी स्वयं के हस्ताक्षर होना बताया। परिवादी ने बताया कि मेरी सुरेश बाजिया ठेकेदार से कोई पुरानी रंजिश नहीं है तथा ना ही मेरा सुरेश बाजिया ठेकेदार से कोई रुपयों संबंधी लेन–देन बकाया है। कृषि कनेक्शन से संबंधित जमीन मेरे पिताजी के नाम से है तथा मेरे पिताजी इंगांनप बीकानेर में सहायक अभियंता के पद पर कार्यरत है तथा उनके राजकीय ड्यूटी में व्यस्त होने के कारण उक्त कार्यवाही मेरे पिताजी की सहमति से ही मैं करवा रहा हूं। ठेकेदार सुरेश बाजिया के पास जो.वि.वि.नि.लि. नोखा से मेरे खेत पर कृषि विद्युत कनेक्शन हेतु जारी कार्यादेश संबंधी सरकारी काम पैण्डिग है, उक्त सरकारी कार्य करने में ठेकेदार सुरेश बाजिया आनाकानी कर रहा है तथा उक्त कार्य करने हेतु नाजायज रिश्वत की मांग कर रहा है। मैं उसे रिश्वत नहीं देना चाहता हूं। हस्तलिखित रिपोर्ट परिवादी एवं मजीद दरियाफ्त से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की परिधि में आना पाया जाता है। अतः आईन्दा रिश्वत मांग सत्यापन की कार्यवाही कर विधि अनुसार कार्यवाही की जावेगी। पूर्ण हालात जरिये मोबाइल श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चौकी बीकानेर, प्रभारी अधिकारी को निवेदन किये गये।

श्री हरीराम कानि. नंबर 210 से ब्यूरो का डिजीटल टेप रिकॉर्डर मय नया मैमोरी कार्ड मंगवाया जाकर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में नया मेमोरी कार्ड स्थापित कर परिवादी श्री सीताराम को डिजिटल टेप रिकॉर्डर को चालू व बन्द करने की प्रक्रिया तथा वार्ता रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया से समझाया गया। परिवादी श्री सीताराम ने बताया कि सुरेश बाजिया ठेकेदार मुझे अभी गांव पांचू में मिल जायेगा, मैं वहां पर जाकर सुरेश बाजिया ठेकेदार से रूबरू मिलकर रिश्वत मांग का सत्यापन करवा दूंगा। जिस पर परिवादी श्री सीताराम से श्री हरीराम कानि. नंबर 210 का आपसी परिचय करवाया गया तथा कानिस्टेबल श्री हरीराम को परिवादी द्वारा दिये गये प्रार्थना–पत्र के तथ्यों से अवगत करवाया गया तथा कानि. को हिदायत दी गई कि परिवादी के साथ जाकर रिश्वत मांग सत्यापन की कार्यवाही करवाने तथा रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को ब्यूरो के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करने हेतु परिवादी श्री सीताराम को संदिग्ध व्यक्ति से वार्ता करने हेतु सम्पर्क करने से पूर्व डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर परिवादी को सुपुर्द करने के निर्देश दिये गये। तत्पश्चात् डिजिटल टेप रिकॉर्डर में मेमोरी कार्ड स्थापित कर श्री हरीराम, कानिस्टेबल नंबर 210 को सुपुर्द कर परिवादी श्री सीताराम के साथ परिवादी की मोटरसाईकिल से रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन की कार्यवाही हेतु वक्त 05.15 पीएम पर रवाना किया गया। समय 11:00 पी.एम. पर श्री हरीराम कानिस्टेबल नंबर 210 मय परिवादी श्री सीताराम के कार्यालय में उपस्थित आया। डिजिटल टेप रिकॉर्डर मन् पुलिस निरीक्षक को श्री हरीराम कानिस्टेबल द्वारा सुपुर्द किया गया। डिजिटल टेप रिकॉर्डर चालू करके चैक किया गया तो इसमें वार्ता रिकॉर्ड होना पाई गई। परिवादी श्री सीताराम ने बताया कि मैं व हरीराम कानिस्टेबल यहां से मेरी मोटरसाईकिल से रवाना होकर वक्त 07.00 पीएम पर पांचू पहुंचे। श्री हरीराम कानिस्टेबल ने मुझे ब्यूरो का डिजिटल टेप रिकॉर्डर चालू कर सुपुर्द किया। फिर मैं सुरेश बाजिया से मिलने कृषि कनेक्शन से संबंधित रखे हुए सामान के स्टोर पर गया तो सुरेश बाजिया मुझे वहां पर नहीं मिला, तो मैं वापिस हरीराम जी के पास आ गया था। हरीराम जी ने डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर बन्द किया। कुछ देर बाद मोबाइल से संपर्क किया तो मेरा मोबाइल अटैंड नहीं किया, फिर कुछ देर बाद श्री सुरेश बाजिया ठेकेदार का मेरे मोबाइल पर कॉल आया और मुझे बताया कि मैं अभी थोड़ी देर में आ रहा हूं। करीब घंटा भर बाद फिर से डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर चालू करवाकर सुरेश जी से संपर्क करने गया। सुरेश जी से मेरा संपर्क हुआ तथा मैंने उनसे मेरे कृषि कनेक्शन के संबंध में बातचीत की व वार्ता को रिकॉर्ड किया था। वार्ता के दौरान सुरेश बाजिया ने मेरे से पूर्व में की गई रिश्वत राशि मांग का फिगर ही देने का कहा। मैंने कहा 50 हजार रुपये ज्यादा है, तो लास्ट में सुरेश जी उस फिगर में से 5 हजार रुपये कम करते हुए शेष राशि 45 हजार

रुपये रिश्वत के तौर पर लेने के लिए सहमत हुए। इस वार्ता के दौरान पास में बैठे श्री रोहित मीणा, जो सुरेश जी ठेकेदार का सहयोगी है, जिसने भी सत्यापन वार्ता के दौरान सुरेश कुमार बाजिया के साथ–साथ रिश्वत की मांग की है, दोनों ही मेरे से 45 हजार रुपये रिश्वत लेने को सहमत हुए। रिश्वत राशि सुरेश बाजिया और रोहित मीणा दोनों में से कोई भी ले सकता है। इस पर परिवादी श्री सीताराम को रिकॉर्ड वार्ता की फर्द ट्रांस्क्रिप्ट तैयार करवाने के संबंध में अवगत करवाया गया तो जाहिर किया कि अब काफी रात्रि का समय हो चुका है, कल कार्यालय समय में मैं आपके कार्यालय में आगामी कार्यवाही के संबंध में उपस्थित हो जाऊंगा। डिजिटल टेप रिकॉर्डर मन् पुलिस निरीक्षक ने अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी को रूखस्त किया गया।

दिनांक 02.06.2023 को परिवादी श्री सीताराम ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आया। रिकॉर्ड वार्ता की फर्द ट्रांस्क्रिप्ट तैयार किये जाने एवं आगामी कार्यवाही के लिए दो स्वतंत्र गवाहान की आवश्यकता होने से मुख्य अभियंता, इंगांनप बीकानेर के नामं तहरीर मुर्तिब कर जरिये सरकारी मोटरसाईकिल श्री अमरीक सिंह कानिस्टेबल को गवाह तलबी हेतु इंगांनप कार्यालय रवाना किया गया। श्री अमरीक सिंह, कानिस्टेबल इंगांनप कार्यालय बीकानेर से श्री दशरथसिंह, संस्थापन अधिकारी एवं श्री बुलाकी खान, वरिष्ठ सहायक को हमराह लेकर उपस्थित हुआ। श्री दशरथसिंह एवं बुलाकी खान को ब्यूरो कार्यालय में बुलाये जाने का प्रयोजन बताया जाकर ब्यूरो की कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति चाहने पर दोनों ने अपनी–अपनी सहमति प्रदान की। तत्पश्चात् मौजूदा परिवादी श्री सीताराम से दोनों गवाहान से आपसी परिचय करवाया गया तथा परिवादी के द्वारा ब्यूरो में प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र एवं रिश्वत मांग सत्यापन रिकॉर्ड वार्ता के तथ्यों से दोनों गवाहान को अवगत करवाया गया। वक्त रिश्वत मांग सत्यापन रिकॉर्ड वार्ता के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को कार्यालय लेपटॉप पर कनेक्ट कर रूबरू परिवादी एवं दोनों स्वतंत्र गवाहान के रिकॉर्ड वार्ता को सुन–सुनकर फर्द ट्रांस्क्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन तैयार की जाकर फर्द पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। मूल रिकॉर्ड वार्ता के मेमोरी कार्ड को आगामी कार्यवाही के प्रयोजनार्थ डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में ही स्थापित रहने दिया गया। डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मन् पुलिस निरीक्षक ने अपने पास सुरक्षित रखा। सत्यापन वार्ता के दौरान परिवादी द्वारा 50 हजार रुपयों में से कुछ कम करने का निवेदन करने पर आरोपी श्री रोहित मीणा द्वारा परिवादी को कहा गया है कि "इसमें गुंजाईश करने वाली, दो लाख रुपये दे रहे थे क्या, दिमाग खराब है..... दो लाख पर पचास हजार....., मेरी बात सुन सीताराम एक बात कहता हूं, जो काम पैसों से हो सकता है ना, वो आप कहीं से भी जैक ले आओ, सुविधा शुल्क एक ऐसी चीज है आप सुविधा शुल्क देके हाथी मरवा दो और जैक से आप अगर चींटी भी मरवा दो ना मैं कह दूं उसके भी रास्ते हजार निकल जायेंगे" इस प्रकार वार्ता के दौरान आरोपी श्री सुरेश बाजिया एवं रोहित मीणा प्रतिनिधि फर्म भंवरिया हाल पांचू तहसील नोखा जिला बीकानेर द्वारा परिवादी से 45 हजार रुपये रिश्वत की मांग करने की पुष्टि हुई। तत्पश्चात वक्त 04.00 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देश पर परिवादी श्री सीताराम ने अग्रिम कार्यवाही हेतु आरोपीगणों को दी जाने वाली रिश्वत राशि 45 हजार रुपये 500–500 रुपये के कुल 90 नोट निम्न वर्णन के प्रस्तुत किये–

क्र. सं.	नोट का विवरण	नम्बर नोट
1.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	6DC 737161
2.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	0AA 328884
3.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	5TL 663998
4.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	2FW 957438
5.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	0EB 585467
6.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	1PD 630591
7.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	1KB 233231
8.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	5TT 484542
9.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	3HM 345251
10.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	9PC 001093
11.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	6AN 476387
12.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	3PN 285052
13.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	6BA 815356
14.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	5CL 786296
15.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	6QP 752251
16.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	2MW 149947
17.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	7ML 404187

18.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	6AH 599926
19.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	1CQ 156221
20.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	2RP 225960
21.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	2CH 247615
22.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	3HG 023656
23.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	6KT 341843
24.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	2EA 199203
25.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	5AS 456918
26.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	9AP 824471
27.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	5RF 289844
28.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	6NS 890155
29.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	4HS 282410
30.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	5KL 125304
31.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	4PQ 356120
32.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	8KC 579054
33.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	8GW 133534
34.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	4QD 487473
35.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	2KT 776330
36.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	5EE 560748
37.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	2RP 726539
38.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	3VV 097490
39.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	9PE 430247
40.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	5ES 091417
41.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	4GE 048398
42.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	5KT 327019
43.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	7QQ 741842
44.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	7EH 029387
45.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	2SQ 783384
46.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	1FL 599419
47.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	7BK 475767
48.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	3EA 314921
49.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	4CU 454663
50.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	2FT 070084
51.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	9KV 066515
52.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	1CR 423475
53.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	1NS 724014
54.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	4PP 154216
55.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	6AE 332384
56.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	7GH 170275
57.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	2EP 838612
58.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	5AU 158731
59.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	5FW 993657
60.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	4QP 830599
61.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	6VH 983655
62.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	7LW 367913
63.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	0QE 237916
64.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	0EM 097917
65.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	5SE 059761
66.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	1DM 523041
67.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	8PL 704486
68.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	4NS 179726
69.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	4CK 307977

70.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	5MK 478628
71.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	2KL 643890
72.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	0MR 906241
73.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	0FS 385713
74.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	0GR 273742
75.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	3CL 155399
76.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	9EB 186389
77.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	0QM 293039
78.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	8GR 756730
79.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	1ND 236792
80.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	4HP 394955
81.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	8US 338962
82.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	9GN 528472
83.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	0KC 002845
84.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	5HC 978932
85.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	1TE 512798
86.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	5PE 897288
87.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	6KC 680917
88.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	7PL 522792
89.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	3FR 856720
90.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	3DL 349159

उक्त नोटो पर श्री नरेन्द्र कुमार हैड कानिस्टेबल नंबर 87 से फिनोल्फ्थलीन पाउडर लगवाया गया। कार्यवाही के विस्तृत हालात फर्द पेशकसी एवं सुपुर्दगी नोट में अंकित कर फर्द पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात वक्त 05:00 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक श्रवण कुमार, श्री आनंद मिश्रा पुलिस निरीक्षक, श्री बजरंग सिंह हैड कानिस्टेबल, श्री अनिल कुमार कानिस्टेबल, श्री कन्हैयालाल कानिस्टेबल, श्री हरीराम कानिस्टेबल, श्री रतनसिंह कानिस्टेबल एवं श्री मनोहरलाल कानिस्टेबल मय परिवादी श्री सीताराम एवं दोनों स्वतंत्र गवाहान के ट्रेप सामग्री हमराह लेकर जरिये प्राईवेट वाहनों (किराये के दो वाहन) से पांचू के लिए रवाना होकर 06:30 पी.एम. पर हमराही सभी के कस्बा पांचू पहुंचे। दोनों वाहनों को उचित स्थान पर मुकिम करवाकर श्री हरीराम कानिस्टेबल को निर्देशित किया गया कि आरोपीगण की उपस्थिति की जानकारी प्राप्त कर अवगत करावें। जिस पर श्री हरीराम कानिस्टेबल ने आरोपीगण के स्टोर से उनकी मौजूदगी का मालूमात किया गया तो दोनों नोखा जाना ज्ञात हुआ। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराही सभी के कस्बा से कुछ दूर उचित स्थान पर आरोपगण के आने का इंतजार किया गया। वक्त 07.20 पीएम पर परिवादी के मोबाइल नंबर 96670–03499 से आरोपी सुरेश बाजिया के मोबाइल नंबर 83022–38205 पर वार्ता करवाई गई तो आरोपी ने कॉलबैक करने का कहा, परंतु काफी इंतजार के बाद आरोपीगण से कोई कॉल नहीं आई। इस पर वक्त 10.00 पीएम पर मय हमराही सभी के चौकी बीकानेर के लिए रवाना होकर कार्यालय हाजा पंहुचा। रिश्वत राशि 45 हजार रुपये परिवादी की जेब से श्री नरेंद्र कुमार हैड कानिस्टेबल के जरिये निकलवा कर रिश्वत राशि को एक सफेद कागज के साथ लिपटवाकर सुरक्षित मालखाना रखवाई गई। परिवादी से हुई वार्ता अनुसार समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यों को प्रातः 08.00 एएम पर कार्यालय में उपस्थित आने की हिदायत की गई। परिवादी, दोनों गवाहान को भी आवश्यक हिदायत कर रुखसत किया गया।

दिनांक 03.06.2023 को 08:00 ए.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक मय समस्त ब्यूरो स्टाफ, परिवादी श्री सीताराम एवं दोनों गवाहान, प्राईवेट वाहन मय चालक कार्यालय हाजा में उपस्थित आये। रिश्वत राशि श्री नरेंद्र कुमार हैड़ कानिस्टेबल के जरिये मालखाना से निकलवाकर दोनों गवाहान को फर्द पेशकशी सुपुर्द कर नोटों के नंबरों का मिलान करवाकर पाऊडर युक्त नोट 45 हजार रुपये परिवादी श्री सीताराम के पहनी पेंट की साईड की दाहिनी जेब में रखवाये गये। कागज जिसमें उक्त राशि लिपटी हुई थी, को जलाकर नष्ट करवाया गया। श्री नरेंद्र कुमार हैड कानिस्टेबल व समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यों ने अपने–अपने हाथ साबुन पानी से धोये। तत्पश्चात मन पुलिस निरीक्षक श्रवण कुमार, श्री आनंद मिश्रा, पुलिस निरीक्षक, श्री बजरंग सिंह हैड कानिस्टेबल, श्री अनिल कुमार कानिस्टेबल, श्री कन्हैयालाल कानिस्टेबल, श्री हरीराम कानिस्टेबल, श्री रतनसिंह कानिस्टेबल मय परिवादी श्री सीताराम एवं दोनों स्वतंत्र गवाहान के ट्रेप सामग्री हमराह लेकर जरिये प्राईवेट वाहनों (किराये के दो वाहन) से पांचू के लिए रवाना

हुआ। श्री नरेंद्र कुमार हैड कानिस्टेबल को चौकी पर ही रहने की हिदायत की गई। 09:50 ए. एम. पर हमराही सभी के कस्बा पांचू में स्थित थाने के नजदीक स्थित विद्युत सामग्री रखे गये स्टोर (बाड़े) के पास पहुंचा। दोनों वाहनों से गोपनीय स्थान पर मुकिम हुआ। परिवादी श्री सीताराम ने बताया कि सुबह–सुबह इस वक्त श्री सुरेश बाजिया एवं मीणा जी मौजूद मिल जायेंगे। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक के पास सुरक्षित लिया हुआ डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर परिवादी से चालू करवाकर हमराही किराये के वाहन स्विफ्ट कार से परिवादी को आरोपीगण से संपर्क करने रवाना किया गया। श्री हरीराम व श्री रतन सिंह कानिस्टेबलगण मय दोनों स्वतंत्र गवाहान को पैदल–पैदल परिवादी की कार के पीछे–पीछे रवाना किया। शेष ट्रेप पार्टी सदस्य किराये की इनोवा वाहन में पास ही मुकिम रहकर परिवादी के इशारे का इंतजार करने लगे।

वक्त 10.27 ए.एम. पर परिवादी श्री सीताराम ने अपने मोबाईल नंबर 9667003499 से मन् पुलिस निरीक्षक श्रवण कुमार के मोबाईल नंबर 8278631591 पर कॉल करके ट्रेप का निर्धारित ईशारा करने पर मन् पुलिस निरीक्षक मय उक्त दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो स्टाफ अविलम्ब फर्म भंवरिया स्टोर (बाड़ा) में पहुंचे, जहां परिवादी श्री सीताराम कार्यवाही में प्रयुक्त प्राईवेट वाहन कार नंबर आरजे 07 सीसी 8321 में बैठा हुआ दिखाई दिया तथा कार के पास से एक लंबा हृष्टपुष्ट व्यक्ति जो सफेद बनियान व काले रंग का बरमूडा पहने हुए परिसर में बने कमरे की तरफ जा रहा था, की तरफ परिवादी ने कार में बैठे बैठे आरोपी होने का ईशारा किया। इस पर परिवादी की कार के पास से बनियान व बरमूडा पहने हुए परिसर में बने हुए कमरे की तरफ जा रहे व्यक्ति को मन् पुलिस निरीक्षक मय ब्यूरो स्टॉफ ने रोका तथा श्री अमरीक सिंह कानिस्टेबल को परिवादी से डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर बंद कर प्राप्त करने के निर्देश दिये एवं परिवादी को अविलम्ब अपने पास बुलाया। बनियान व बरमुडा पहने व्यक्ति के बारे में परिवादी श्री सीताराम ने मुझ पुलिस निरीक्षक को बताया कि यह सुरेश जी हैं, जो भंवरिया कम्पनी के ठेकेदार हैं, इन्होंने मेरे से अभी–अभी कार में बैठकर कुल 45,000/–रूपये रिश्वत के मेरे पिताजी श्री मघाराम पुत्र श्री सादुलाराम के नाम से रोही साठिका, पांचू, जिला बीकानेर में कृषि कनैक्शन करने की एवज में प्राप्त किये हैं, मेरे निवेदन पर इन्होंने 5000/–रूपये मान सम्मान का कहकर मुझे लौटाये हैं, जो मेरे पास है, 40,000/–रूपये सुरेश जी के पहने बरमूडे की बांयी जेब में इन्होंने गिनकर रखे हैं। इस पर परिवादी द्वारा बताये गये व्यक्ति सुरेश को मन् पुलिस निरीक्षक ने अपना व हमराहियान का पूर्ण परिचय देकर परिचय पूछने पर अपना नाम सुरेश कुमार बाजिया पुत्र श्री हरलाल सिंह बाजिया, उम्र 36 वर्ष, जाति जाट, निवासी गांव ठिकरिया, तहसील खण्डेला, जिला सीकर हाल श्रमिक फर्म भंवरिया इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्राईवेट लिमिटेड, जयपुर होना बताया। श्री सुरेश कुमार से परिवादी श्री सीताराम से रिश्वत राशि किस बाबत ली गई, का पूछने पर बताया कि मैंने रिश्वत नहीं ली है, यहां काश्तकार काम होने पर बधाई के तौर पर कुछ खर्चा पानी दे देते हैं। अभी अभी सीताराम मेरे से यहां स्टोर परिसर में मिला था, फिर हम बात करते करते सीताराम की कार में बैठ गये, सीतारामजी ने मुझे कहा कि गांव साठिका वाला मेरे पिताजी के नाम के कृषि कनैक्शन वाला काम जल्दी करवा दो, इन्होंने मुझे खुशी से बधाई के तौर पर 45,000/–रूपये दिये थे, फिर इन्होंने मुझे कहा कुछ तो कम करो, तो मैंने 45 हजार में से 5 हजार रूपये गिनकर इनको वापिस लौटाये थे। 40,000/–रूपये मेरे पहने हुए बरमुडे की बांयी जेब में हैं। इस पर स्वतः ही परिवादी श्री सीताराम ने बताया कि साहब ये झूठ बोल रहा है, मैंने इनको कोई बधाई नहीं दी है, मेरे पिताजी के कृषि कनैक्शन की एवज में इन्होंने मेरे से 50,000/–रूपये रिश्वत की मांग की थी, सत्यापन वार्ता के दौरान 5 हजार रूपये कम करते हुए 45 हजार रूपये लेने को सहमत हुए थे। रिश्वत मांग के कम में ही आज इन्होंने मेरे से 45 हजार रूपये रिश्वत के प्राप्त करके उनमें से मेरे निवेदन पर मेरे को 5 हजार रूपये वापिस लौटाकर 40 हजार रूपये रिश्वत के अपने पास रख लिये। जिस पर पास ही स्थित श्री सुरेश कुमार के कमरे में हमराही सभी के पहुंचा तो कमरे के अन्दर एक अन्य व्यक्ति बैठा मिला, जिसको परिवादी ने रोहित मीणा होना बताया तथा बताया कि साहब सत्यापन के दौरान रोहित मीणा ने भी सुरेश जी के साथ ही मेरे से रिश्वत की मांग की थी। जिस पर उक्त व्यक्ति को मन् पुलिस निरीक्षक ने अपना व हमराहियान का पूर्ण परिचय देकर परिचय पूछा तो अपना नाम रोहिताश मीणा उर्फ रोहित पुत्र श्री मालीराम, उम्र 38 वर्ष, जाति मीणा, निवासी वार्ड नंबर 15, मीणों का मोहल्ला, श्रीमाधोपुर, जिला सीकर हाल श्रमिक भंवरिया प्रोजेक्ट प्राईवेट लिमिटेड होना बताया। रोहिताश मीणा को परिवादी श्री सीताराम से किस बाबत रिश्वत की मांग की गई, के संबंध में पूछने पर बताया कि साहब ये सीतारामजी दिनांक 01.06.2023 को शाम को यहां आये थे, मैंने सुरेश जी के साथ इनके कनैक्शन के संबंध में पैसों की बातचीत की थी और दिनांक 02.06.2023 को मैं व सुरेश जी इनके खेत में मौका देखने भी गये थे। मैंने सीताराम से कोई पैसे नहीं लिये हैं। दोनों आरोपीगण से स्टोर (बाड़े) के संबंध में पूछने पर बताया कि हमने श्री तेजाराम सुथार निवासी

पांचू से यह बाड़ा एक माह पूर्व किराये पर लिया है। इसके अलावा आरोपी के कमरे के पास अन्य व्यक्ति मिला जिससे पूछने पर अपना नाम दुलाराम पुत्र श्री प्रहलाद राय जाति मेघवाल निवासी पांचू होना बताया व स्वतः ही बताया कि साहक मै भी मेरे पिताजी के नाम से कृषि कनेक्शन के लिए सुरेश जी व रोहिताशजी के चक्कर काट रहा हूँ, मेरा आपकी कार्यवाही से कोई लेना देना नही है मै इस सम्बंध में आपको पृथक से लिखित स्पष्टीकरण प्रार्थना पत्र पेश कर दूंगा। श्री दुलाराम का स्पष्टीकरण संतोषजनक पाये जाने पर श्री दुलाराम को ट्रेप कार्यवाही से अलग किया गया। आरोपीगणों द्वारा रिश्वत राशि लेन–देन की पुष्टि होने पर हमराही ट्रेप बॉक्स से साफ कांच के दो गिलास को साफ साबुन पानी से धुलवाकर दोनों गिलासों में साफ पानी भरवाकर सोडियम कार्बोनेट पाउडर का घोल तैयार किया गया, जो हाजरीन ने रंगहीन होने की ताईद की। रंगहीन घोल के एक गिलास में आरोपी श्री सुरेश कुमार के बांये हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डूबोकर धुलवाया गया, तो घोल का रंग गुलाबी प्राप्त हुआ, जिसे दो साफ कांच की शीशियों में आधा–आधा भरवाकर सीलचिट कर मार्क एल–1, एल–2 अंकित किये जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात् दूसरे रंग हीन घोल के गिलास में आरोपी सुरेश कुमार के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी प्राप्त हुआ, जिसे भी दो अन्य साफ कांच की शीशियों में आधा–आधा भरकर सीलचिट कर मार्क आर–1, आर–2 अंकित किये गये। मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देश पर आरोपी श्री सुरेश कुमार ने अपने पहने बरमुडे की बांयी जेब से 500–500 रूपये के नोटों की एक थेई निकालकर पेश की जो गवाह श्री दशरथ सिंह को दिलवाई जाकर गिनवाने पर गवाह ने गिनकर 500–500 रूपये के 80 नोट कुल 40,000/–रूपये होना बताया। दोनों गवाहान से पूर्व में बनी फर्द पेशकसी एवं सुपुर्दगी नोट से उक्त नोटों के नंबरों का मिलान करवाने पर गवाहान ने नोटों के नंबर हूबहू फर्द पेशकसी के 80 नोट होना बताया। जिनके नंबर फर्द में अंकित किये गये। उक्त नोट वजह सबूत होने से एक सफेद कपड़े के साथ सीलचिट कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिये गये। तत्पश्चात आरोपी सुरेश कुमार के पहने बरमुडा को उतरवाकर लोअर पहनाया जाकर एक अन्य कांच के गिलास को साफ साबुन पानी से धुलवाया जाकर साफ पानी भरवाकर सोडियम कार्बोनेट पाउडर का घोल तैयार किया गया, जो हाजरीन ने रंगहीन होने की ताईद की। उक्त रंगहीन घोल के गिलास में आरोपी सुरेश के बरमुडे की बांयी जेब को उलटवाकर डूबोकर धोवन लिया गया तो धोवन का रंग गुलाबी प्राप्त हुआ, जिसे साफ कांच की दो शीशियों में आधा–आधा भरकर सीलचिट कर मार्क बी–1, बी–2 अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात परिवादी श्री सीताराम को आरोपी श्री सुरेश द्वारा लौटाये गये 5 हजार रूपये पेश करने के निर्देश देने पर परिवादी श्री सीताराम ने 500–500 रूपये के नोटो की थेई प्रस्तुत की जो गवाह श्री दशरथ सिंह को दिलवाकर गिनवाने पर 500–500 रूपये के 10 नोट कुल 5 हजार रूपये होना बताये। इनके नंबर भी उक्त दोनों गवाहान से पूर्व से बनी फर्द पेशकसी से करवाने पर गवाहान ने नोटों के नंबर हूबहू फर्द पेशकसी के अनुसार होना बताया जिनके नम्बर भी फर्द में अंकित किये गये। उक्त नोटों को भी एक सफेद कपड़े के साथ सीलचिट कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। मौका पर लिखा–पढी की कार्यवाही के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं होने से वजह सबूत हमराह लेकर मय आरोपी सुरेश कुमार व रोहिताश मीणा के मय हमराहियान तथा आरोपीगण के कमरे में एक कागज की थैली में विद्युत कनैक्शन संबंधित कागजात, रजिस्टर इत्यादि दस्तावेज भी अवलोकन हेतु साथ लेकर वक्त 11.05 ए.एम. पर पास ही स्थित पुलिस थाना पांचू पहुंचकर फर्द बरामदगी मुर्तिब करनी प्रारंभ की गई। आरोपी श्री सुरेश कुमार का बरमुडा बरंग काला की जेब को सुखाकर एक सफेद कपड़े की थैलीं में डालकर सीलचिट कर थैली पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। ट्रेप कार्यवाही के दौरान आरोपी के कमरे के पास खड़ा व्यक्ति श्री दूलाराम ने मौके पर अपनी उपस्थिति के बारे में स्पष्टीकरण के रुप में एक लिखित प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो बाद अवलोकन शामिल कार्यवाही कागजात किया गया। आरोपी सुरेश कुमार व रोहिताश मीणा से परिवादी श्री सीताराम से संबंधित कृषि कनैक्शन की पत्रावली का पूछने पर हमराह लाये कागज की थैली से एस्टीमेंट नंबर 145 दिनांक 28.02.2023 चार कागजात फोटोप्रति पेश की व आरोपी सुरेश कुमार व रोहिताश ने बताया कि ये जॉब ऑर्डर 28.02.2023 का जारीशुदा है, ये जोधपुर डिस्कॉम नोखा ऑफिस से जारी है, हमारे पास श्री अजय बिजारणिया हाल ठेकेदार फर्म भंवरिया इन्फ्रा मोबाईल नंबर 9829413577 ने फोटोप्रति में उपलब्ध करवाये हैं, इस एस्टीमेंट के अनुसार श्री मघाराम पुत्र श्री सादुलाराम प्रजापत के मौके पर लाईन खड़ी है, इस एस्टीमेंट के अनुसार कम संख्या 2 से 4 तक का आईटम हमने मौके पर डाल दिया है। केवल कनैक्शन चालू करना शेष है। उक्त थैली में एक लाईनदार रजिस्टर जिस पर MIRAJ Note book लिखा हुआ है, जिसमें अंतिम दो पृष्ठ से पूर्व तीसरे पृष्ठ पर मघाराम S/o सादुलाराम (साठिका) नाम से सामग्री ईश्यू का अंकन है इस पर प्राप्ति के सीताराम के हस्ताक्षर व मोबाईल नंबर 9667003499 अंकित

हैं। रोहिताश मीणा ने बताया कि उक्त इन्द्राज मेरे हस्तलेख में है। परिवादी के कृषि कनैक्शन कार्य संबंधी कागजात कुल 4 पेज फोटोप्रति, सीताराम के हस्ताक्षर संबंधी एक रजिस्टर, एक नोटबुक व दो लाईनदार रजिस्टर, उक्त कागजात के साथ के साथ मिले अन्य दस्तावेज विद्युत सामग्री बाबत इनवॉईस, ट्रांसपोर्ट बिल्टी, जोधपुर डिस्कॉम से संबंधित कागजात इत्यादि पृथक से फर्द जब्ती बनाकर कब्जा एसीबी लिये गये। आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया। फर्द नमूना सील मुर्तिब की गई। घटना स्थल का नम्शा मौका तैयार किया गया। वक्त रिश्वत लेन–देन वार्ता की फर्द ट्रांस्क्रिप्ट तैयार की गई। कार्यवाही में प्रयुक्त पीतल की सील को अनुपयोगी कर नष्ट कर फर्द नष्टीकरण तैयार कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। दिनांक 04.06.2023 को वक्त 12:10 ए.एम. पर फारिग होकर कार्यवाही में सीलसुदा व जब्तसुदा वजह सबूत हमराह लेकर मय परिवादी, स्वतंत्र गवाहान, गिरफ्तारसुदा आरोपीगण के पांचू से बीकानेर के लिए रवाना होकर आरोपीगण को रात्रि में थाना सदर की हवालात मे जमा करवाते हुए वक्त 01:40एएम पर कार्यालय हाजा पंहुचा। प्रकरण का वजह सबूत श्री बजरंग सिंह हैड कानिस्टेबल को सुपुर्द किया गया। गवाहान व परिवादी श्री सीताराम को कार्यवाही से रुखसत किया गया। तत्पश्चात प्रातः आरोपीगण को जरिये रिमाण्ड फार्म माननीय न्यायाधीश महोदय के आवास पर पेश किया गया। आरोपीगण को न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाने के आदेश फरमाने पर केन्द्रीय कारागृह बीकानेर में जमा करवाकर प्राप्ति रसीद प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गई।

अब तक की संपूर्ण ट्रेप कार्यवाही से यह पाया गया कि आरोपीगण श्री सुरेश कुमार बाजिया व रोहिताश मीणा द्वारा साशय पूर्वक बेईमानी से कपटपूर्वक कार्य करते हुए परिवादी श्री सीताराम के पिता श्री मघाराम के खेत में कृषि कनेक्शन के लिए विद्युत लाईन बिछाने व तार खींचने, विद्युत कनेक्शन से सम्बन्धित सामान की एवज में परिवादी के साथ धोखाधड़ी कारित करते हुए परिवादी को रिश्वत नही देने पर उसका कृषि कनेक्शन नियमानुसार नही करने का भय दिखाकर अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से 45000 रूपये रिश्वत मांग करने की पुष्टि हुई। उक्त मांग के अनुक्रम में रूबरू स्वंतत्र मौतबिरान दिनांक 02.06.23 को ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया गया परंतु परिवादी का आरोपीगणो से सम्पर्क नही हुआ। दिनांक 03.06.23 को पुनः ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया गया। दिनांक 03.06.23 को आरोपी सुरेश कुमार को 40000 रूपये रिश्वत राशि परिवादी श्री सीताराम से प्राप्त करने पर रूबरू स्वंतत्र गवाहान ट्रेप कार्यवाही आयोजित की गई। रिश्वत लेन देन के समय परिवादी के निवेदन करने पर 5000 रूपये आरोपी द्वारा परिवादी श्री सीताराम को वापिस लौटाये गये। वक्त ट्रेप कार्यवाही 40000 रूपये आरोपी सुरेश कुमार के पहने हुए बरमूडा की सामने की बांयी जेब से बरामद किये गये तथा आरोपी द्वारा परिवादी को लौटाये गये 5000 रूपये परिवादी सीताराम से कब्जा एसीबी लिये गये। ट्रेप कार्यवाही के दौरान आरोपी सुरेश कुमार के दोनो हाथों की अगुलियों अगूठे तथा रिश्वत राशि बरामद्गी स्थान बरमुडा की बांयी जेब का धोवन लिया गया, जिससे आरोपी द्वारा परिवादी से रिश्वत लेने की पुष्टि हुई। वक्त लेन–देन रिश्वत की रिकॉर्ड वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट पृथक से तैयार की गई, जिसमें भी आरोपी सुरेश कुमार द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि प्राप्त करने के साक्ष्य मौजूद है। वक्त ट्रेप कार्यवाही को आरोपीगण के पास परिवादी का कृषि कनेक्शन संबंधी कार्य लंबित होना पाया गया है, जिसके संबंध में एस्टीमेट की फोटो प्रतियां कार्यवाही के दौरान जब्त की गई है। इस प्रकार आरोपीगण श्री सुरेश कुमार बाजिया व रोहिताश मीणा दोनो द्वारा फर्म भंवरिया इन्फ्रा प्रोजेक्ट जयपुर हाल पांचू जिला बीकानेर में बतौर प्रतिनिधि कार्य करते हुए अपने कार्य का विधि सम्मत संपादन नही करते हुए परिवादी श्री सीताराम से धोखाधड़ी एवं कपटपूर्वक अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से कृषि कनेक्शन नियमानुसार नही करने का भय कारित करते हुए 45000/– रूपये रिश्वत राशि स्वयं के लिए तथा अन्य के लिए मांग कर वक्त ट्रेप आरोपी श्री सुरेश कुमार बाजिया द्वारा 45000/– रूपये प्राप्त कर परिवादी को 5000/– वापिस लौटाये गये। इस प्रकार समस्त तथ्यों के आधार पर आरोपीगण 1. सुरेश कुमार पुत्र श्री हरलाल सिंह, निवासी गांव ठिकरिया, तहसील खण्डेला, जिला सीकर, हाल प्रतिनिधि भंवरिया इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड जयपुर हाल पांचू, जिला बीकानेर व 2. रोहिताश मीणा पुत्र श्री मालीराम मीणा, निवासी वार्ड नम्बर 15, मीणों का मोहल्ला, बस स्टैण्ड के पास श्रीमाधोपुर, जिला सीकर हाल प्रतिनिधि भंवरिया इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड जयपुर हाल पांचू, जिला बीकानेर के विरूद्व अपराध अन्तर्गत धारा 7 ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, (यथा संशोधित 2018) व 420,, 384, 120 बी भादंसं का प्रथम दृष्टया घटित होना पाया गया है। अतः आरोपीगण के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं बिना नंबरी एफआईआर वास्ते पंजीयन एवं क्रमांकन हेतु श्रीमान् महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर की सेवामें प्रेषित है।

(श्रवण कुमार)
पुलिस निरीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
बीकानेर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री श्रवण कुमार, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) एवं 420, 384, व 120बी भादंसं में 1. श्री सुरेश कुमार बाजिया पुत्र श्री हरलाल सिंह बाजिया, निवासी गांव ठिकरिया, तहसील खण्डेला, जिला सीकर हाल फर्म प्रतिनिधि फर्म भंवरिया इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्राईवेट लिमिटेड जयपुर, हाल पांचू तहसील नोखा जिला बीकानेर एवं 2. श्री रोहिताश मीणा पुत्र श्री मालीराम निवासी वार्ड नम्बर 15, मीणों का मौहल्ला, बस स्टेण्ड के पास श्रीमाधोपुर जिला सीकर हाल फर्म भंवरिया इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्राईवेट लिमिटेड जयपुर, हाल पांचू तहसील नोखा जिला बीकानेर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 137/2023 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रतियाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

5.6.23
(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर।

क्रमांकः- 1043-47 दिनांकः 5.6.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, बीकानेर।
2. प्रबन्ध निदेशक, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर।
3. प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर।
4. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर।

5.6.23
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर।